

संयुक्त स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद इटावा के अन्तर्गत इटावा-ग्वालियर मार्ग रा0मा0सं0-92 के किमी0-74.700 से 77.950 तक के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में 5.345 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक- 20-06-2022 को किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु 5.345 हे0 वनभूमि की आवश्यकता है। सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत 5.345 हे0 वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है और मांगी गयी 5.345 हे0 वनभूमि की मांग न्यूनतम है।

स्थान- आगरा

दिनांक- 20-6-2022

(हरि किशोर शुक्ला)

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी प्रोजेक्ट,
राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी प्रोजेक्ट
रेन्ज- इटावा (उ.प्र.)

(दिवाकर प्रसाद श्रीवास्तव)

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी प्रोजेक्ट,
राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी प्रोजेक्ट
उ0प्र0, आगरा।